न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़(राज.)

बइजलास – श्रीमति हरबिन्दर डी सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या – 1/2019/अपील

उनवान

1. कारूलाल पि. भवानीलाल जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल

– अपीलांट

बनाम

1. इन्द्रसिंह पि. प्रहलादसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
2. राजाराम पि. प्रहलादसिंह जाति धाकड नि. कादर नगर तहसील सुनेल
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील सुनेल
4. हाडौती केन्द्रीय ग्रामीण बैंक सुनेल
5. ग्राम पंचायत उन्हेल पंचायत समिति पिडावा मु0सुनेल

–रेस्पाडेन्टस

अपील बनराजगी आदेश नामान्तरकरण संख्या 690 दिनांक 20.07.2014

ग्राम पंचायत उन्हेल

उपस्थिति – वकील अपीलांट – श्री प्रेमचन्द चौधरी

वकील रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 – श्री मिथलेश टेलर

निर्णय दिनांक: 17/12/2019

संक्षिप्त तथ्य अपील इस प्रकार है कि ग्राम कादरनगर की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 5 की आराजी किता 9 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि शामलाती खातेदारी की है एवं वादग्रस्त आराजी है। इस वादग्रस्त आराजी में सभी सहखातेदारो द्वारा दिनांक 08.07.2014 को उप पंजीयक सुनेल के यहां हकत्याग पत्र पंजीबद्ध करवाया था। अपीलाट द्वारा इस वादग्रस्त आराजी में से ख.नं. 102 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा , ख.नं. 131 रकबा 5 बीघा 14 बिस्वा , ख.नं. 275 रकबा 13 बिस्वा , ख.नं. 437 रकबा 1 बिस्वा किता 4 रकबा 7 बीघा 9 बिस्वा भूमि में हकत्याग नहीं किया परन्तु राजस्व कर्मियों द्वारा सहवन से इन ख.नं. का भी हकत्याग का नामान्तरकरण सं. 690 दर्ज कर दिया जिसे ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा दिनांक 20.07

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned by CamScanner

2014 को तस्दीक कर दिया जो शून्य घोषित होने योग्य है। अपीलांट के पक्ष में प्रथम दृष्टया दावा सही है एवं सुविधा का संतुलन भी अपीलांट के पक्ष में है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा आदेश नामा.सं. 690 दिनांक 20.07.2014 को अपास्त किया जाकर मुताबिक हकत्याग पत्र नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश प्रदान किया जाकर अपीलांट का नाम दर्ज रिकार्ड किया जावे।

अपील के साथ ग्राम कादरनगर की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 5 की नकल , नामा.सं. 690 एवं रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 08.07.2014 की असल प्रति पेश की।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर रेस्पोडेन्ट सं. 1 व 2 की ओर से जरिये एडवोकेट स्वीकारात्मक जवाब पेश किया।

प्रस्तुत अपील एवं राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत अपील में यह पाया कि अपीलांट एवं उसके परिवारजन द्वारा दिनांक 08.07.2014 को रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र द्वारा ग्राम कादरनगर की जमाबंदी सं. 2071–74 के खाता सं. 5 की आराजी किता 9 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि में से ख.नं. 278 रकबा 13 बिस्वा , खं.नं. 385 रकबा 17 बिस्वा , ख.नं. 397 रकबा 12 बिस्वा , ख.नं. 408 रकबा 9 बिस्वा , ख.नं. 409 रकबा 9 बिस्वा किता 5 रकबा 3 बीघा भूमि का हकत्याग रेस्पोडेन्टस सं. 1 व 2 के पक्ष में किया परन्तु नामान्तरकरण दर्ज करते समय सहवन से नामा. सं. 690 में खाते की सम्पूर्ण भूमि किता 9 रकबा 10 बीघा 9 बिस्वा भूमि का इन्द्राज कैर दिया जिसे संबंधित भू.अभिलेख निरीक्षक एवं ग्राम पंचायत उन्हेल द्वारा बिना जांच किये तस्दीक कर दिया जो कि गलत है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर ग्राम कादरनगर के नामा.सं. 690 दि. 20.07.2014 को निरस्त किया जाता है एवं मुताबिक रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 08.07.2014 के अनुसार नामान्तरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज मेरे द्वारा लिखावाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(हरबिन्दर डी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Harbinder Dhillon Singh
Date: 2020.01.07 13:28:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: